

# राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल,

सी-7 ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर-302016

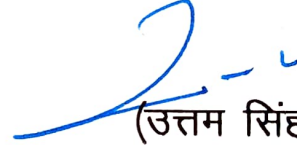
फोन नम्बर 0141-4004914 Website:- www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक: एफ ( )/रा.स्टेट अ.है.कौ/लेखा/2025/39

दिनांक:- 20.03.25

## कार्यालय आदेश

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर द्वारा NCAHP Act No 14, 2021 के Notification Chapter 3 के तहत वरिष्ठ सदस्य, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 25.10.2024 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 473 दिनांक 28.10.2024 के ऐजेण्डा संख्या 09 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल के केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग, जयपुर से GST रजिस्ट्रेशन नम्बर 08AAAGT2055F1ZE जारी हो चुका है अतः दिनांक 01.04.2025 से कौंसिल के अधीन समस्त संस्थाओं से मान्यता फीस, अभ्यर्थियों के डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण फीस, संस्थाओं में प्रवेश हेतु आवेदन फीस पर नियमानुसार 18 प्रतिशत GST लिया जाना सुनिश्चित करें।

  
(उत्तम सिंह शेखावत)  
आर.ए.एस.

सचिव

क्रमांक: एफ ( )/रा.स्टेट अ.है.कौ/लेखा/2025/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर।
5. सहायक लेखाधिकारी - प्रथम, कार्यालय हाजा।
6. मान्यता/पंजीयन/काउन्सिलिंग/संस्थापन/विधि/परीक्षा शाखा कार्यालय हाजा।
7. कौंसिल के अधीन समस्त संस्थाओं/कॉलेजों को पालनार्थ।
8. कौंसिल में आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

  
सचिव